

11/03/2020

पत्रावली पेश हुई थी वही प्रार्थी इतना वहील अर्थात् अनु० प्रकरण में गत पेशी पर लक्ष्य उपर धरुत अर्थात् 22 नियम 3 सीपीसी सुनी गरी वहील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार दिया जात है अर्थात् सं० 1 के विरुद्ध एचएलए अर्पण में जर जारी है प्रकरण में प्रार्थी/पक्ष सं० 2 की पृष्ठ होने के उनके बलिखतों के रिपोर्ट पर लेने के आदेश दिए गये हैं।

वहील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण प्रार्थी पुपना के गत है प्रकरण में अर्थात् वहील गत पेशियों से अनु० चल रहे हैं जिसे प्रकरण में अनापवाद विचार हो रहा है अतः प्रार्थना का बाक्य बेलो द्वारा भी स्वीकार दिया जावे क्योंकि उपर उल्लेखित के स्वीकार होने से किसी के भी हित अर्थात् प्रार्थी होने वाले हैं।


हमारे पत्रावली का धरुत

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम ज्ञात  
हुकम की तारीख  
में जारी हुआ

किपा। वकील प्राणी की बख्त पर मनन किपा।  
प्रकरण पर 2016 से उचित पर रखा हो अतः  
न्यायविदों वकील प्राणी का निवेदन लंबित  
किपा जाण ही श.पत्र के संबंधित मूल श.पत्र  
सं० 518/2010 अन्वय अमलान्त बनाम उपर्युक्त  
आदि के रेटोर फले डे आदेश दिने जाहे ही  
मूल श.पत्र खान ही पेशी में लिपा जावे। वकील  
प्राणी श.पत्रा पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी की  
पालना में संबंधित शीर्षक मूल श.पत्र बाबत  
अस्वारि निर्बंधाबा में अनिमित तारीख पर पेशा  
करें। प्रकरण में अब कोर्ट कार्यवाही शेष नही  
रही ही अतः पत्रावली में मूल श.पत्रा पत्र  
तरही लंबित आदेश दण्डा ही

  
सहायक कलेक्टर  
बीकानेर शहर

